# <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 393 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 30 / 06 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504004462014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

### वि रू द्ध

विजय उर्फ विज्जू पिता कुंवरलाल उम्र 22 वर्ष, निवासी बस स्टेंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

# <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

# (आज दिनांक 26.03.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13. 06.2014 को समय 01:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 0.6 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.06. 2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पीर मंजिला आमला में अभियुक्त धारदार गुप्ती लेकर लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त द्वारा गुप्ती रखने बाबत कोई कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक धारदार गुप्ती जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 432 / 14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र

### प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.06.2014 को समय 01:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 0.6 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 13. 06.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ पीर मंजिल आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की गुप्ती लिए लोगों को डरा धमका रहा था जिस पर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा एवं अभियुक्त द्वारा गुप्ती रखने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे की गुप्ती जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 432/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 शेख अलीम (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ.सा.—2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.—1) एवं यादोराव (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 जी. पी. रम्हारिया (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर पीर मंजिल मौके पर जाना और अभियुक्त को हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ना तथा उससे एक लोहे की धारदार गुप्ती जप्त की जाना एवं गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में जप्तशुदा गुप्ती का नाप किससे किया गया था इस बात का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध कमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी जी.पी. रम्हारिया के कथनों से जप्तशुदा गुप्ती की नापजोप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.06.2014 को समय 01:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 0.6 इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त विजय उर्फ विज्जु को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की गुप्ती अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)